

ब्रिटेन में नागरिक अधिकार - ब्रिटेन में निवृत्त
 कालिखित होने के कारण अधिकारों की कोई लिखित सूची
 नहीं है। ब्रिटेन नागरिकों का Rule of Law के
 अंतर्गत इन अधिकार प्राप्त हैं। ये संसद के
 विविध अधिनियमों, आर्थिक नियमों तथा सामान्य
 विधि में अंतर्निहित हैं जो इस प्रकार हैं -

- ① बिना विधि का पालन किए बंदी न बनाये जाने
 या दण्डित न होने का अधिकार।
- ② भाषण, अभिव्यक्ति और प्रेस का अधिकार।
- ③ व्यापक स्वतंत्रता का अधिकार।
- ④ सार्वजनिक सभा करने तथा सामाजिक
 उत्सवों में भाग लेने का अधिकार।
- ⑤ वैधानिक ढंग से सेवा बनाने का
 अधिकार।
- ⑥ - आपात्पत्र में जाने का अधिकार।
- ⑦ खुले - आपात्पत्र में पूरी की उपस्थिति में
 नौकर पाने का अधिकार।

उपरोक्त ब्रिटेन नागरिकों के अधिकारों
 को पीछे स्के महत्पूर्ण अनुशासित
 लोकतान्त्रिक परम्परा है। इसका सर्वोच्च अंग
कोर्ट ऑफ़ लॉ ने भी किता है उनके अधिकारों के स्वतंत्रता
 की सुरक्षा का अन्तिम कोर्ट पर्याप्त अनुशासित
 लिखित उद्घोषणा नहीं है वरन् परम्परा,
 सिद्धान्त और अनुराग ही है।